

कार्यालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील/आरटीआई/81/2025

अतर सिंह निवासी गनेश नगर, सेवर रोड, भरतपुर मो. नं. 9660478398

.....अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार बयाना

.....रेस्पोंड

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश

दिनांक 26.11.2025

अतर सिंह निवासी गनेश नगर, सेवर रोड, भरतपुर की सूचना का अधिकार का अधिनियम 2005 के अन्तर्गत ऑनलाईन अपील सं 060352799236251 से इस आशय की प्राप्त हुई है कि प्रार्थी/अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत ऑनलाईन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर लोक सूचना अधिकारी, से सूचना चाही गई थी। लोक सूचना अधिकारी, द्वारा प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/कोर्ट/2025/994 दिनांक 13.11.2025 के द्वारा अपील की प्रति भेजकर लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार बयाना से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार बयाना का जबाब पत्र क्रमांक एल.आर./25/4186 दिनांक 26.11.2025 से प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी/प्रार्थी ने अपील में कथन किया है कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र से चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी ने उपलब्ध नहीं कराई हैं, प्रार्थी ने चाही गई सूचना उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया है।

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार बयाना से प्राप्त जबाब का अवलोकन किया गया, लोक सूचना अधिकारी ने अपने जबाब पत्रांक एल.आर./25/4186 दिनांक 26.11.2025 में उल्लेख किया है कि प्रार्थी द्वारा चाही

.....2


जिला कलक्टर
भरतपुर


(2)

अपील/आरटीआई/81/2025
अतर सिंह बनाम लो.सू.अ. तहसीलदार बयाना

गई सूचना का जबाब कार्यालय के पत्रांक एलआर/25/3857 दिनांक 14.10.2025 से नियमानुसार सम्बन्धित को उपलब्ध करा दिया गया है। अपील खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार बयाना के उक्त जबाब एवं संलग्न पत्रादि से जाहिर आया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना के सन्दर्भ में प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रश्नात्मक होने के कारण लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार बयाना द्वारा प्रार्थी को लिखा गया है कि आप द्वारा चाही गई सूचना प्रश्नात्मक एवं काल्पनिक हैं। प्रशासनिक सुधार विभाग राज0 जयपुर के परिपत्र दिनांक 02.02.2009 के अनुसार ".....लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना सृजित करने या सूचना की व्याख्या करने या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्या का समाधान करने या काल्पनिक प्रविष्टियों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है।....."

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर सूचना दिया जाना लम्बित नहीं है। अतः अपील अपीलान्त खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलान्त को (लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जबाब की प्रति सहित) एवं लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार बयाना को प्रेषित की जावे। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर में की जा सकती है।


(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलक्टर
भरतपुर